कार्यालय संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर (म.प्र.)
E-mail - indore@mptownplan.gov.in

क्रमांक / 70 / INDLP–5032 / 18 / नग्रानि / 2018, इंदौर दिनांक 02/01/19

प्रति,

1. श्री शालीन पिता श्री दिनेश खण्डेलवाल,
2. श्री निखित पिता श्री दिनेश खण्डेलवाल,
निवासी– 48, साजन नगर, इन्दौर (म.प्र.)

विषय :– ग्राम मूसाखेडी, तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 357/2 कुल रकबा 0.107 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन बाबद्।

संदर्भ :– आपका आवेदन कार्यालय में प्राप्त दिनांक 05/12/2018.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक– 1. श्री शालीन पिता श्री दिनेश खण्डेलवाल, 2. श्री निखित पिता श्री दिनेश खण्डेलवाल, निवासी– 48, साजन नगर, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा ग्राम मूसाखेडी, तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 357/2 कुल रकबा 0.107 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं :–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
2. आवेदन शुल्क चालान क्र. 0217423, दिनांक 14/11/2018 राशि 5,000/– एवं अनुज्ञा शुल्क चालान क्र. 02171242, दिनांक 27/12/2018 राशि 8,100/– इस प्रकार कुल रूपये 13,100/– जमा।
3. खसरा बी–1, पी–2 वर्ष 2018–19 एवं ऋण पुस्तिका।
4. सीमांकन रिपोर्ट।
5. शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति पत्र।
6. मानचित्र।

भू–स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें स्थल वर्तमान में रिक्त अवस्था में है। प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा में 18.0 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग से पहुँच उपलब्ध है। प्रश्नाधीन भूमि अंगीकृत इंदौर विकास योजना 2021 अनुसार औद्योगिक उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट हैं।

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 0064/अ–2/2017–2018 में पारित आदेश दिनांक 04/04/2018 द्वारा ग्राम मूसाखेडी, तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 357/2 कुल रकबा 0.107 हेक्टेयर भूमि को म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत भू–व्यपवर्तन किया गया है।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर के पत्र क्रमांक 8875 दिनांक 22/12/2014 द्वारा प्रेषित सूची में प्रश्नाधीन भूमि सम्मिलित नही है। तथा वर्तमान में प्राधिकारी के पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 13/04/2017 इस कार्यालय के आवक क्रमांक 1254 दिनांक 18/04/2017 द्वारा प्राप्त। में भी अवगत कराया गया है कि, प्राधिकारी द्वारा पूर्व में प्रेषित अभिलेख/सूची के आधार पर ही निर्णय लिये जाने हेतु अवगत किया है।

अविरत.......2

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत आवेदन में यथा वर्णित एवं दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर ग्राम मूसाखेडी, तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 357/2 कुल रकबा 0.107 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक उपयोग हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(ख) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) एवं 2(5) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के साथ मानचित्र स्वीकृत किया जाता हैं :-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-

   अ. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

   ब. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम,

   स. अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।

2. प्रश्नाधीन भूमि पर नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे-

   अ- ग्राउण्ड कवरेज 40.0 प्रतिशत अधिकतम।

   ब- एफ.ए.आर. 1:0.75 अधिकतम।

   स- भवन की ऊँचाई - 12.0 मीटर।

   द- एम.ओ.एस.- संलग्न मानचित्र अनुसार।

   इ- पार्किंग- 20 प्रतिशत।

3. प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा में स्थित मार्ग की चौडाई 18.0 मीटर प्रस्तावित रखते हुए मार्ग मध्य से 9.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु भूमि खुली छोडना आवश्यक होगा। साथ ही मार्ग हेतु खुली छोडी गयी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण वर्जित होगा।

4. स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज, आदि का विकास स्थानीय संस्था की देख-रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।

5. उपरोक्त प्रावधानों के तहत भवन के आंतरिक प्रस्ताव नगर पालिक निगम से स्वीकृत कराने के उपरांत ही स्थल पर विकास/निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा।

6. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल, विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।

7. यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी। उसके पश्चात् यह अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी। परन्तु आवेदक द्वारा समयावधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एक-एक वर्ष) के लिये बढाई जा सकेगी। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

8. निर्मित किये जाने वाले भवनों शहरी जल प्रदाय प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात ही भूखण्ड पर जल विधुत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।

अविरत......3

9. यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा अधिमान्य उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।

10. भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी के अनुसार एवं निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा। किसी भी प्रकार का डिजाईन फाल्ट अथवा स्वीकृति के विपरित निर्माण की अव्यवस्था में आवेदक की जवाबदारी होगी।

11. मार्ग एवं खुले स्थानों हेतु छोडी गई भूमि भू–राजस्व संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत अधिकारों का त्यजन राज्य सरकार के पक्ष में करना होगी व म.प्र. नगर पालिका अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही करना होगी।

12. इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की आवेदक भूमि व्यपवर्तन तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम अन्तर्गत अनुमतियाँ प्राप्त नहीं कर लेता।

13. फायनेंस एक्टस् 1994 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

14. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 01/09/2009 की अनुसूचि की कंडिका 8(क) के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्गमीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8(ख) के अनुसार 50 हेक्टेयर या उससे अधिक और/या 150000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–5–23/2003/32 भोपाल, दिनांक 14, अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है तो इकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई. आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा State of Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजना से जुडे किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें तथा निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।

15. यह अभिन्यास म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदित किया गया है। यदि मौके पर विकास कार्य के दौरान भूमि की चर्तुःसीमा में परिवर्तन होता है तो सीमांकित अभिन्यास पुनः इस कार्यालय से अनुमोदित कराना होगा।

16. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) के प्रावधानों अनुसार यदि प्रश्नाधीन भूमि जल विकास/जल स्त्रोत के उच्चतम जल स्तर से 9.0 मीटर और नदी के मामले में 15.0 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित होगा।

17. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 के प्रावधानों अनुसार विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी छोडने के पश्चात् निर्माण कार्य करना आवश्यक होगा।

अविरत.......4

18. किसी भी प्रकार के भू–स्वामित्व, सीमा अथवा मार्ग संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या उक्त ज्ञापन में उल्लेखित शर्तो के उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहित (रिव्होक) कर दी जावेगी।

संलग्न– अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म.प्र.

पृ. क्रमांक / /INDLP–5032 / 18 / नग्रानि / 2018, इंदौर दिनांक
प्रतिलिपि :–

1. सक्षम प्राधिकारी / आयुक्त, नगर पालिका निगम, इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट **www.emptownplan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील व जिला इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसीस प्रकार के विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावे तथा इस अनुमति आदेश के आधार पर कोई कार्यवाही न करें। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट **www.emptownplan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमाशुल्क व सेवाकर, माणिकबाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट **www.emptownplan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेशित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट **www.emptownplan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. कार्यकारी संचालक, ट्रेड एवं इन्वेंस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का पत्र क्रमांक एमपीट्रायफेक / प्लानिंग / 95 / 18 / 4350 भोपाल, दिनांक 20 / 08 / 2018 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट **www.emptownplan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. तहसीलदार, तहसील व जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट **www.emptownplan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, इन्दौर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट **www.emptownplan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. वरिष्ट–पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, तहसील व जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट **www.emptownplan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्न– अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म.प्र.

Steno/FC/DM(M)/07-12-18

Valid up to 01/01/2022

APPROVED

As Per Condition Givin is

Memo No. 70

02/01/19

Joint Director
Town & Country Planning
INDORE (M.P.)

Assistant Director
Town & Country Planning
Indore (M.P.)

विजय जत्थाप
उपयंत्री

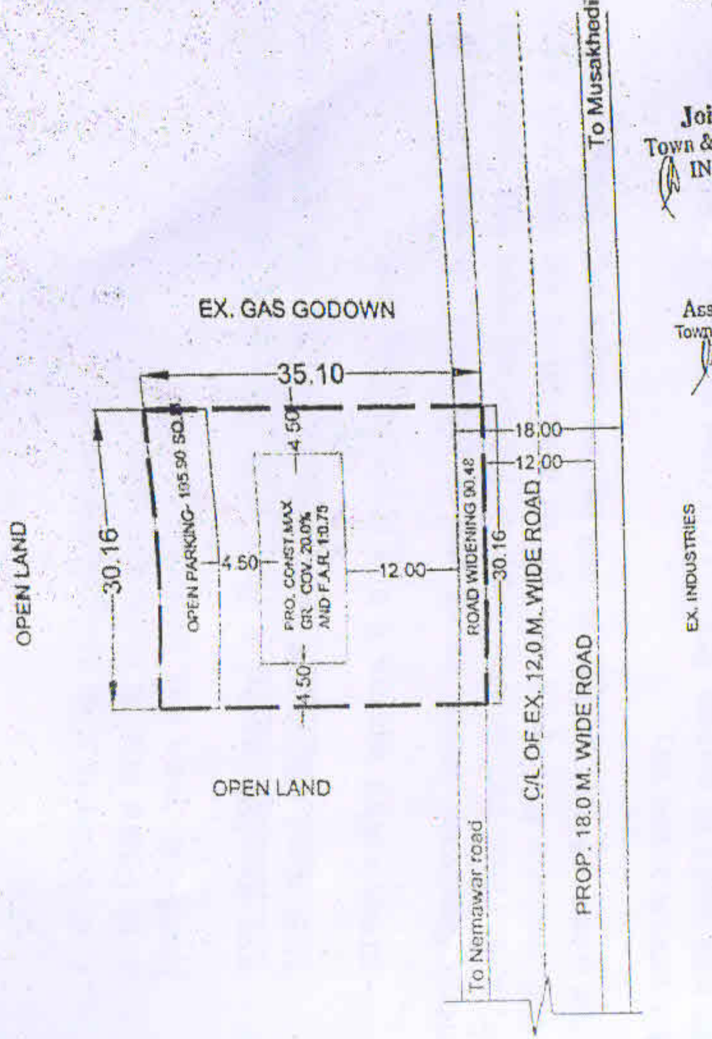

KH PLAN

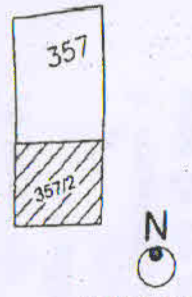

SCALE-1:4000

LOCATION PLAN

PROPOSED SITE PLAN OF INDUSTRIAL USE ON LAND BEARING KH.NO.357/2 AT VILLAGE MUSAKHEDI TEH. AND DISTT INDORE.INDORE.

OWNERS- (1) SHRI SHALIN d/o SHRI DINESH KHANDELWAL
(2) SHRI NIKHIL s/o SHRI DINESH KHANDELWAL

STATEMENT OF AREA

TOTAL LAND AREA	1070.00 sq.m.
AREA UNDER ROAD WIDENING	90.48 sq.m
NET LAND PLANNING AREA	979.52 sq.m.
MAXI PER. GROUND COVERAGE	40.00%
PROPOSED GROUND COVERAGE	20.00%
MAX.PERPERMISSIBLE F.A.R.	1 : 0.75
PARKING AREA-20.0%	195.90 sq.m.
MAX. PERMISSIBLE HEIGHT	12.00 mt.
M.O.S	FRONT- 12.0 mt
BOTH SIDE & REAR SIDE	4.5 / 4.5 / 4.5

PARKING AS PER PROVISSION OF M.P. BHUMI VIKAS NIYAM 2012 & INDORE DEVELOPEMENT PLAN 2021.

Note :-

@ 1 ECS/PER 50.00 SQ.MT. AS B/UP AREA

@ 25.0 SQ.M./CAR IN OPEN PARKING.

OWNERS SIGN

SAGAR PASTARIYA
(B.E. Civil)
Lic. No. 290/TNCP/16
ENGINEER INDORE
Mob. 9074552368

(2)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जूनीइन्दौर

राजस्व आदेश–पत्र

प्र.क्र. 20 /अ–2 / 2018–19

1	2	3
11.3.2019	प्रकरण प्रस्तुत। 1 – आवेदक शालीन, निखिल पिता दिनेश खण्डेलवान निवासी – 48, साजन नगर इन्दौर के द्वारा ग्राम मूसाखेडी की भूमि खसरा नम्बर 357 / 2 रकबा 0.107 हेक्टर भूमि का औद्यौगिक मद में व्यपवर्तित कर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 59 (6) के अन्तर्गत (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम 2018 अन्तर्गत भूमि के परिवर्तित उपयोग के व्यपवर्तन और प्रीमियम एवं भूराजस्व के स्वनिर्धारण की सूचना प्रारूप एक में प्रस्तुत की गई है। आवेदन पत्र के साथ आवेदक के द्वारा एक घोषणापत्र भी संलग्न किया गया है । 2– आवेदन पत्र के संबंध में आवेदक द्वारा जमा राशि का जांच प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक से प्राप्त किया गया। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का औद्यौगिक प्रीमियम रुपए 32100 / – परिवर्तित राजस्व की पुनः निर्धारण रुपए 3210 / – प्रस्तावित किया गया है। इसके विरुद्ध आवेदक द्वारा उक्त राशि चालान क्रमांक 00295527 दिनांक 22 / 01 / 2019 से रुपए 35310 / – आन लाईन जमा कर चालान की प्रति पेश की गई है, जो निर्धारित राशि के समानान्तर है। 3– प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर के पत्र क्रमांक 70 / INDLP-5032 / 18 / नग्रानि / 2018 दिनांक 02 / 01 / 2019 से स्पष्ट है कि इन्दौर विकास योजना के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि औधैगिक उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट बताई गई है, तथा आवेदक को उक्त कार्यालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर मद आवासीय की स्वीकृति प्रदान की गई है। 4– जिसमें यह पावती उक्त प्रारूप एक में मद 11 में दर्शाई गई प्रीमियम रुपए 32100 / – परिवर्तित राजस्व की पुनः निर्धारण रुपए 3210 / – प्रस्तावित राशि चालान क्रमांक 00295527 दिनांक 22 / 01 / 2019 से कुल रुपए 35310 / –, रसीद, जो भूमि के व्यपवर्तन का प्रमाण होगी । 5 – आवेदक द्वारा पुर्ननिर्धारण व उपकर की राशि प्रतिवर्ष नियमानुसार समय पर जमा कराना अनिवार्य होगा।	

(3)

6 – पावती में कोई भी बात तय होते ही भूमि स्वामी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) तथा उसके अन्तर्गत बनाए मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण एवं पुर्न निर्धारण) नियम 2018 के समस्त प्रावधानो के पालन के दायित्वाधीन होगा।

7– इस धारा के अधीन भूमिस्वामी या उपखण्ड अधिकारी की कोई कार्यवाही लागू विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल भूमि के उपयोग के परिवर्तन हेतु अनुज्ञा देनेवाली नहीं समझी जावेगी ।

8– म.प्र.शासन के राजपत्र दिनांक 28/09/2018 के भाग 4 (ग) मे उल्लेखित नियम – भाग – ग (भूमि उपयोग का परिवर्तन) में उल्लेखित भाग – 2 पावती पृथक से जारी हों। बाद प्रकरण समाप्त होकर दाखिल हो।

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व जूनीइन्दौर

1580/15
15-3-15
3-4-15

13/3/19

भाग –दो

पावती

प्रति,

शालीन, निखिल पिता दिनेश खण्डेलवाल
पता – 48, साजन नगर इन्दौर

प्र.क्र.20/अ-2/18-19
दि. 11.03.2019

भाग (एक) में दी गई भूमि ग्राम मुसाखेडी तहसील व जिला इन्दौर की भूमि खसरा नम्बर 357/2,, रकबा 0.107 भूमि पर औद्योगिक प्रयोजन उपयोग में व्यपवर्तन की उक्त सूचना एतद द्वारा प्राप्त की है।

2, यह पावती उक्त प्रारुप एक में मद 11 में दर्शाई गई (प्रीमियम रुपए 32100/–, पुनः निर्धारण रुपए 3210/–) चालान क्रमांक 00295527 दिनांक 22/01/2019 से रुपए 35310/– की रसीद के साथ भूमि के व्यपवर्तन का प्रमाण होगी।

3, पावती में कोई भी बात तय होते ही भूमिस्वामी मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) तथा उसके अंतर्गत बनाये मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के समस्त प्रावधानो के पालन के लिये दायित्वाधीन होगा।

स्थान – इन्दौर सील
दिनांक

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व जूनीइन्दौर

पृष्ठांकन क्रमांक/ 20 /रीडर/19 इंदौर, दिनांक 11-3-19

प्रतिलिपिः–

01, कलेक्टर (भूमि परिवर्तन–कम्प्यूटर शाखा) जिला इंदौर की और उक्त आदेश का 3 दिवस मे अमल दरामद कर पालन प्रतिवेदन भिजवाये ।

02, अधीक्षक भूमि परिवर्तन/रा0नि0 ग्राम मुसाखेडी तहसील इन्दौर की और आवेदक द्वारा प्रस्तुत चालान की प्रति व्यपवर्तन की बी–1 में अमल दरामद करे।

03, तहसीलदार तहसील जुनीइंदौर की और राजस्व रेकार्ड में अमल करने हेतु।

04, संबंधित शालीन, निखिल पिता दिनेश खण्डेलवाल पता – 48, साजन नगर इन्दौर की ओर सूचनार्थ पालनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व जूनीइन्दौर